न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1078/2024

अनवान : –

1. जगदेव सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी कर्मगढ़ उर्फ औतावाली हाल अमरपुरा बस्ती बिठण्डा जिला बठिण्डा पंजाब।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–असल प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 19/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 83/83 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी का नाम मिठूसिंह पुत्र करतार सिंह दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी के समस्त दस्तावेजो में वादी का नाम जगदेव सिंह पुत्र करतार सिंह दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं वादी अपने खातेदारी हकों से वंचित हो रहा है। इसलिए वादी मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम राजस्व रिकार्ड में मिठूसिंह के स्थान पर जगदेव सिंह करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा की राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम दर्ज कर देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसिलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो की शामिल मिसल की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि में वादी का नाम मिठूसिंह पुत्र करतार सिंह दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी के समस्त दस्तावेजो में वादी का नाम जगदेव सिंह पुत्र करतार सिंह दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं वादी अपने खातेदारी हकों से वंचित हो रहा है। इसलिए वादी मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम राजस्व रिकार्ड में मिठूसिंह के स्थान पर जगदेव सिंह करवा पाने का अधिकारी है। वाद का वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 83/83 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि में वादी का नाम मिठूसिंह पुत्र करतार सिंह दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी के समस्त दस्तावेजो में वादी का नाम जगदेव सिंह पुत्र करतार सिंह दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं वादी अपने खातेदारी हकों से वंचित हो रहा है। इसलिए वादी मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम राजस्व रिकार्ड में मिठूसिंह के स्थान पर जगदेव सिंह दर्ज किया जावे। पत्रावली में प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत करमगढ़ औतवाली मानसा द्वारा प्रस्तुत एवं बलौर सिंह नम्बरदार द्वारा प्रस्तुत सत्यापन प्रमाण पत्र के मुताबिक जगदेव सिंह व मिठठू सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी द्वारा प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि में भी वादी का नाम जगदेव सिंह दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के करण वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 83/83 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादी का नाम **मीठूसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख सा0 रामसरा तहसील नोहर के स्थान पर जगदेवसिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी अमरपुरा बस्ती बठिण्डा जिला बठिण्डा के अंकन की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/05/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:49 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1078 / 2024

अनवान : –

1. जगदेव सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी कर्मगढ़ उर्फ औतावाली हाल अमरपुरा बस्ती बिठण्डा जिला बठिण्डा पंजाब।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–असल प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1078 सन 2024 निर्णय दिनांक 19/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 83 / 83 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि में वादी का नाम **मीठूसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख सा0 रामसरा तहसील नोहर के स्थान पर जगदेवसिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी अमरपुरा बस्ती बठिण्डा जिला बठिण्डा के अंकन की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:49 IST
Reason: SelfAttested